संख्या-131/2018/2300/41-2018-26 (बजट)/2018

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 08 अगस्त, 2018

विषय- जनपद फैजाबाद स्थित अयोध्या में मल्टीस्टोरी पार्किंग हेतु आवश्यक निजी भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1695/6-1-1(951)/2018, दिनांक 14 जून, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फैजाबाद स्थित अयोध्या में मल्टीस्टोरी पार्किंग हेतु आवश्यक निजी भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने के लिए जिलाधिकारी फैजाबाद के पत्र संख्या 124/मल्टीस्टोरी पार्किंग/2018, दिनांक 06 जून, 2018 में की गयी संस्तुति के अनुक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग एन0एच0-28 के पास अयोध्या सर्विसलेन से रामघाट चौराहे को जाने वाले मार्ग पर ग्राम मांझा मीरापुर द्वावा (अ0न0प0) तहसील सदर, फैजाबाद पर 55 मीटर चौड़ा सर्विस रोड से लगी हुई 73.50 मीटर लम्बी रामघाट चौराहा रोड से लगी हुई आराजी संख्या 157,161 एवं 162 में अवस्थित भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 4042.50 वर्ग मीटर है, को निर्धारित सर्किल रेट मूल्यांकन की धनराशि रू0 6,27,53,625.00 (रूपये छः करोड़ सत्ताईस लाख तिरपन हजार छः सौ पच्चीस मात्र) के दोगुने दर पर राजस्व विभाग के शासनादेशों के अनुसार जिलाधिकारी फैजाबाद के माध्यम से अधिग्रहण/क्रय किये जाने हेतु रू0 12,55,00,000.00 (रूपये बारह करोड़ पचपन लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

(1) उपयुक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण/क्रय हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा-वित्तीय एवं राजस्व नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण/क्रय हेतु समस्त औपचारिकताओं यथा- वित्तीय एवं राजस्व विभाग द्वारा निर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेश आदि तथा भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण विषयक राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश संख्या-2/2015/215/एक-13-2015-20 (48)/2011, दिनांक 19 मार्च, 2015 में उल्लिखित प्रक्रिया/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथावश्यकता सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/ 2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोतों से धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(6) प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तो एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही रू0 12,55,00,000.00 (रूपये बारह करोड़ पचपन लाख मात्र) की धनराशि का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-43-अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य की मद में उपलब्ध धनराशि के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या ई-7-722/दस-2018 दिनांक 08 अगस्त 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-131/2018/2300(1)/41-2018-26 (बजट)/2018 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- आयुक्त फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
4- जिलाधिकारी, फैजाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/फैजाबाद।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2 ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, फैजाबाद।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in